पत्रांक–वन भूमि–37 / 2017..... / प0व0

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

ललन प्रसाद सिंह, भा0व0से0
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002.

पटना–15, दिनांक–.....

विषय :– दरभंगा जिलानतर्गत बिरौल–सिंधिया भाया पिपरा पथ में सिंधिया–हिरणी (10.00–13.10 कि०मी०) पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 4.8856 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (Stage-1) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल,, बेनीपुर (दरभंगा) द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। वर्त्तमान पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में 4.8856 हे० वन भूमि का अपयोजन एवं पातित होने वाले वृक्षों की संख्या 267 प्रतिवेदित किया गया है। वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं Geo-Referenced Map प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 4.8856 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने अवकृष्ट 9.7712 हे० वन भूमि अर्थात 10.00 हे० को चिन्हित (ककवारा टोला रतौठिया रक्षित वन) करते हुए वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 4.8856 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 30,58,386 / – (तीस लाख अनठावन हजार तीन सौ छियासी रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

3. अपयोजित होने वाली 4.8856 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बाँका प्रक्षेत्र अंतर्गत 10.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि ककवारा टोला रतौठिया रक्षित वन में चिन्हित करते हुए 32,05,936/– (बतीस लाख पाँच हजार नौ सौ छतीस रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय वनागर तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 600/– रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

ज्ञापांक : वन भूमि–37/2017......................../प०व०, पटना–15, दिनांक....................................
प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार / कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, बेनीपुर (दरभंगा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक: वन भूमि–37/2017 1096(ई) /प०व०, पटना–15, दिनांक 27/12/17
प्रतिलिपि :– सुश्री ललिता रानी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पर्यावरण एवं वन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

(ललन प्रसाद सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।